

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली-54

सं०एफ० 19(04)/परि० वि०/सचि० शा०/2019/88829

दिनांक - 29/11/19

सेवा में,


उप- सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-54

विषय : दिनांक 02.12.2019 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० - 35

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,



(विपिन गोपाल)

पी.सी.ओ. (सचि०)

VIPIN KUMAR GOPAL
Pollution Control Officer
Transport Department
Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम : परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता : 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली।
अतारंकित प्रश्न संख्या : 35
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता
दिनांक : 02.12.2019

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि सरकार की वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों तथा दिव्यांगों को डीटीसी बसों में रियायती पास उपलब्ध कराने की योजना थी;	वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों तथा दिव्यांगों को डीटीसी बसों में रियायती दरों पर पास सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।
ख	यदि हाँ, तो इस योजना के क्रियान्वित न हो पाने के क्या कारण हैं;	
ग	यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी;	
घ	क्या यह भी सत्य है कि जितनी महिलाएं डीटीसी की बसों में यात्रा कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा टिकट काटे जा रहे हैं;	इस संदर्भ में दिल्ली परिवहन निगम की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
ड	कोई भी महिला बिना टिकट यात्रा न करे और कन्डक्टर व्यर्थ में ही महिलाओं के टिकट काटकर नम्बर बढ़ाने के लिए न फेंके, यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है; और	डीटीसी बसों में महिलाओं को जारी टिकट हेतु जाँच टीमों द्वारा निगरानी रखी जा रही है कन्डक्टर को जारी किये गये टिकट और कन्डक्टर द्वारा महिलाओं को जारी किये गये टिकटों में एक विशेष नम्बर होता है यदि इसमें कोई अनियमितता पायी जाती है तो अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
च)	महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा योजना लागू होने के उपरान्त यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है?	महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा योजना लागू होने के उपरान्त दिल्ली परिवहन निगम की बसों में औसत प्रति दिन 5.44 लाख यात्रियों की वृद्धि हुई है। क्लस्टर बसों में भी इस योजना के उपरान्त महिला यात्रियों की संख्या में औसत प्रतिदिन लगभग 1.72 लाख यात्रियों की वृद्धि हुई है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

A.K. Sharma

उपायुक्त (परिवहन)

(A.K. Sharma)
Dy. Commissioner (Tpt)
Govt. of NCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054